कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 23/10/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 22.10.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 327/2025 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.10.2025 को चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 327/2025 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पाजी उर्फ रामप्रकाश पुत्र मुखलाल को हाटा रेलवे क्रासिंग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू (आलाकत्ल) बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

01. पाजी उर्फ रामप्रकाश पुत्र मुखलाल सा0 मोमिनपुर (करमचन्दपुर) थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 327/2025 धारा 103(1) बीएनएस थाना मुहम्मादाबाद जनपद गाजीपुर

02. साइबर सेल जनपद गाजीपुर के प्रयास से शिकायतकर्ता संदीप कुमार सिंह के साथ यूपीआई द्वारा फ्राड की गयी 1,50,000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आवेदक संदीप कुमार सिंह निवासी गौतम बुध्द नगर कालोनी, माल गोदाम रोड, जनपद गाजीपुर के साथ यूपीआई के द्वारा फ्राड किया गया तथा उनके द्वारा तत्काल साइबर हेल्प लाइन नं0 1930 पर काल करके आनलाइन शिकायत दर्ज करायी गयी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल साइबर सेल जनपद गाजीपुर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर सेल प्रभारी उ0नि0 श्री शिवाकान्त मिश्रा मय हमराह द्वारा दिनांक

17.10.2025 को आवेदक संदीप कुमार सिंह के खाते में उनके साथ फ्राड की गयी 1.50,000/- रू0 की धनराशि वापस करायी गयी।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर